संख्या– 1857 /38–7–2008– एनआरईजीए/2008

प्रेषक

रोहित नन्दन,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–7 लखनऊः दिनांकः 0 / ~~अगस्त~~ अगस्त, 2008

विषयः– राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत कार्यस्थल की सुविधाओं से संबंधित सामग्री का केन्द्रीयकृत कय न किये जाने के संबंध में।

महोदय,

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम–2005 की अनुसूची–2 के प्रस्तर–27 एवं 28 में यह उल्लेख किया गया है कि कार्यस्थल पर शुद्ध पेयजल, विश्राम हेतु छाया(शेड), प्राथमिक चिकित्सा पेटी (first aid box)तथा कार्य हेतु आने वाली महिलाओं के साथ होने वाले बच्चों को संभालने हेतु सुविधा इत्यादि व्यवस्था किये जाने का प्राविधान है।

2– भारत सरकार द्वारा निर्गत योजना की मार्ग निर्देशिका के प्रस्तर–6.8.1 में यह उल्लेख है कि उपर्युक्त व्यवस्थायें सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा परन्तु यह संज्ञान में आया है कि कतिपय जनपदों द्वारा स्थलीय सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु टेन्ट, छोलदारी, पानी की टंकियॉ, प्राथमिक चिकित्सा पेटी(first aid box) इत्यादि सामग्री का जिला स्तर पर केन्द्रीकृत कय किया जा रहा है। जनपद–बलरामपुर में इस प्रकार का कय करते हुए प्रशासनिक व्यय हेतु अनुमन्य 4 प्रतिशत की धनराशि की सीमा से अधिक लगभग 8 प्रतिशत धनराशि का व्यय उक्त सामग्री के कय पर किया गया है। कतिपय अन्य जनपदों में भी इसी प्रकार कार्यवाही किये जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में आया है।

3– चूंकि भारत सरकार के मार्ग निर्देशिका में यह व्यवस्था है कि उक्त सुविधाओं हेतु आवश्यक व्यवस्थायेंक कार्यदायी संस्था करेंगी। अतः केन्द्रीयकृत कय किया जाना कदापि औचित्यपूर्ण नहीं है। ग्राम पंचायतों में अधिकांश कार्य स्थलों के निकट छायादार वृक्ष, मंदिर, मस्जिद, प्राथमिक विद्यालय, सामुदायिक केन्द्र इत्यादि सुविधाएं छाया की व्यवस्था किया जाना आवश्यक नहीं होता। यदि कार्य स्थल के पास इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध न भी हो तो कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों से छाया की

व्यवस्था की जा सकती है, जो सस्ती एवं सुविधा जनक होगी। इसी प्रकार शुद्ध पेयजल के लिए कतिपय कार्यस्थलों के पास हैण्डपम्प की सुविधा उपलब्ध होती है। यदि हैण्डपम्प की सुविधा उपलब्ध न हो तो स्थनीय स्तर पर उपलब्ध मिट्टी के घडे या ड्रमों के माध्यम से पेयजल की व्यवस्था की जा सकती है।

4— जहां तक प्राथमिक चिकित्सा पेटिका (first aid box) का संबंध है स्वास्थ्य विभाग द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है। नरेगा में कार्यरत अधिकतर मजदूर उक्त श्रेणी में आते है। अतः सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों से सम्पर्क स्थापित कर न्यूनतम दर पर चिकित्सा सामग्री कामगारों को मुहैय्या करा सकते है।

5— अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत स्थलीय सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु किसी भी प्रकार का केन्द्रीयकृत कय न किया जाय। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों एवं समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत व्यवस्था परक आदेशों के अनुकम में आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था कार्यदायी संस्थाओं द्वारा ही की जायेगी।

कृपया उपरोक्त आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(रौहित नन्दन)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 857 (1)/38–7–08–तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक, उत्तर प्रदेश।
5. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आर0 पी0 सिंह)
अनुसचिव।